न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 163/2020

उनवान :

1. रजत कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति खाती निवासी भिरानी त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. होशियार सिंह पुत्र जयनारायण जाति खाती निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. मोनिका कुमारी पुत्री होशियार सिंह जाति खाती निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. बैंक एस बी आई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक ।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पुनमचंद वर्मा: **वादी**
वकील श्री अक्षय कुमार : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 27.10.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 669/630 के मु0न0 86 के किला न0 18, 22, 23 प्रत्येक की 0.253है0 बारानी मु0 न0 117 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, 12 प्रत्येक की 0.253 है0 बारानी कुल 2.530है0 बारानी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार रोही मौजा भिरानी के खाता सं 387/373 के मु0 न0 131 के किला न0 6 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0 मु0 न0 132 के किला न0 8 ता 13 , 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253है0 मु0 न0 143 के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 8.855है0 बारानी में से प्रतिवादी सं 1 होशियार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा जयनारायण की खातेदारी हुआ करती थी। जयनारायण के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 होशियार सिंह ने [illegible] होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि [illegible] होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, [illegible]उ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट.ट्रैक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रजत कुमार पुत्र होशियार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सवंत 2074–77 खाता सं 669/630 प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं 387/373 प्रदर्श 2 खतौनी ग्राम भिरानी प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सवंत 2074–77 खाता सं 669/630 प्रदर्श 1 जमाबंदी खाता सं 387/373 प्रदर्श 2 खतौनी ग्राम भिरानी प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा जयनारायण के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में होशियार सिंह के वारिसान में 1 पुत्र रजत कुमार व 1 पुत्री मोनिका कुमारी व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 669/630 के मु0न0 86 के किला न0 18, 22, 23 प्रत्येक की 0.253है0 बारानी मु0 न0 117 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, 12 प्रत्येक की 0.253 है0 बारानी कुल 2.530है0 बारानी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार रोही मौजा भिरानी के खाता सं 387/373 के मु0 [illegible] प्रत्येक की 0.253है0 मु0 न0 132 के किला न0 8 ता 13 , 18 ता 23 [illegible] 0.253है0 मु0 न0 143 के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक की [illegible] प्रतिवादी सं 1 होशियार के नाम 1/4 हिस्सा [illegible] कुमार प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह व प्रतिवादी[illegible] बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि [illegible] के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रजत कुमार प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह प्रतिवादीया सं 2 मोनिका कुमारी को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
(फास्ट ट्रेक) भा[illegible] R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 163/2020

1. रजत कुमार पुत्र होशियार सिंह जाति खाती निवारी भिरानी त0 भादरा।

:–वादी

ब ना म

1. होशियार सिंह पुत्र जयनारायण जाति खाती निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. मोनिका कुमारी पुत्री होशियार सिंह जाति खाती निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. बैंक एस बी आई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक ।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पुनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं 669/630 के मु0न0 86 के किला न0 18, 22, 23 प्रत्येक की 0.253है0 बारानी मु0 न0 117 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, 12 प्रत्येक की 0.253 है0 बारानी कुल 2.530है0 बारानी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है व इसी प्रकार रोही मौजा भिरानी के खाता सं 387/373 के मु0 न0 131 के किला न0 6 ता 25 प्रत्येक की 0.253है0 मु0 न0 132 के किला न0 8 ता 13 , 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253है0 मु0 न0 143 के किला न0 1 ता 3 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 8.855है0 बारानी में से प्रतिवादी सं 1 होशियार के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में वादी रजत कुमार प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह व प्रतिवादीया सं 2 मोनिका कुमारी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 रजत कुमार प्रतिवादी सं 1 होशियार सिंह प्रतिवादीया सं 2 मोनिका कुमारी को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:52 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner